नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के प्रति अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन

ब्रजेश कुमार वर्मा*

प्रस्तुत शोध पत्र में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के प्रति अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है। अध्ययन हेतु शोधकर्ता ने वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है। प्रदत्तों के संकलन हेतु स्वनिर्मित ''नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 प्रश्नावली'' को 120 के न्यादर्श पर प्रशासित किया गया। अध्ययन के परिणामस्वरूप ज्ञात हुआ कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के प्रति बहुसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति अल्पसंख्यक अभिभावकों की तुलना में अधिक सकारात्मक है। इस निष्पत्ति के पीछे यह कारण हो सकता है कि बहुसंख्यक वर्ग की साक्षरता दर का प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग की साक्षरता दर के प्रतिशत से ज़्यादा है, अत: वे विभिन्न सरकारी योजनाओं व अधिनियमों के प्रति अधिक सकारात्मक मनोवृत्ति रखते हैं। अन्य निष्पत्ति में यह ज्ञात हुआ कि इस अधिनियम के प्रति पुरुष वर्ग के अभिभावक चाहे वे अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक, महिला वर्ग की अभिभावकों (अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक) की तुलना में अधिक सकारात्मक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस परिणाम के पीछे कारण हो सकता है, कि महिलाओं पर पुरुषों की तुलना में अतिरिक्त परिवार एवं बच्चों की देखभाल का दायित्व होता है, जिससे वे इस अधिनियम के प्रति सक्रियता प्रदर्शित नहीं कर पाती हैं। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को और बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए सभी अभिभावकों, चाहे वे अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक हों, को चाहिये कि वे इस अधिनियम के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करें तभी न केवल सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सकेगा वरन् शिक्षा के अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन भी उचित ढंग से हो सकेगा।

*2/25, आवास विकास कालोनी, मैनपुरी (उ.प्र.)

Chap-1.indd 5 10-04-2015 PM 04:41:04

प्रस्तावना

शिक्षित होना हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। पेस्टालॉजी ने भी इसी बात को कहा है ''शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।'' लेकिन यह तभी संभव है जब इसकी पहुँच समाज के सबसे निचले स्तर तक सुनिश्चित हो। 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009, 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू हो चुका है। विश्व में ऐसे कम ही देश हैं, जहाँ बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था लागू है। इस दृष्टि से यह अधिनियम भारत को प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की आधार भूमि उपलब्ध करा रहा है। इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हर एक बच्चे को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रावधान एवं उन प्रावधानों को पूर्ण करने के लिए कर्त्तव्य एवं दायित्व निर्धारित हैं।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 1870 में ब्रिटेन ने अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित होने के उपरांत भारत में सर्वप्रथम प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की माँग ज्योतिबाफुले जी द्वारा 1882 में हंटर कमीशन से की गयी थी। 1906 में इम्पीरियल लेजिसलेटिव असेम्बली से श्री गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारतीय बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की माँग की गयी थी, किंतु उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1937 में महात्मा गांधी जी ने वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की बैठक में समस्त बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था किंतु वित्तीय संसाधनों के अभाव का कारण बताकर बच्चों को यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। 1948–49 में संविधान सभा के समक्ष भी यह प्रश्न उत्पन्न हुआ परंतु संविधान सभा की सलाहकार समिति ने इसे मौलिक अधिकार न मानते हुए नीति निर्देशक सिद्धांत की सूची में स्वीकार किया। नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 45 के अनुसार– ''राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 साल की अवधि में समस्त बच्चों के लिए जब तक कि वे 14 साल की आयु को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।''

सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा 1993 में दिए गए निर्णय में यह कहा गया कि ''शिक्षा के बिना जीवन का अधिकार अपूर्ण है और 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व है।'' इस निर्णय के पश्चात् 86वाँ संवैधानिक संशोधन, 2002 के अंतर्गत मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21ए सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार—''राज्य 6–14 वर्ष के आयु वर्ग वाले समस्त बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का, ऐसी रीति से जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, उपबंध करेगा।'' इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 45 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद स्थानापन्न किया ''राज्य समस्त बच्चों को जब तक कि वे अपनी 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं, बचपन पूर्व सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।'' संविधान के अनुच्छेद 51–ए में धारा (जे) के बाद अग्रलिखित धारा जोड़ी गयी है –

धारा (के) ''यदि माता-पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले अपने, यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें''

इसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ और समस्त बच्चों को यह अधिकार उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न प्रारंभ हुए। इसी क्रम में वर्ष 2006 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का एक मॉडल विधेयक विकसित किया गया जो 4 अगस्त 2009 को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के रूप में पारित हुआ तथा 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। अंतत: भारत के समस्त बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराने की यात्रा, लगभग एक शताब्दी के बाद 2010 में मंज़िल प्राप्त कर सकी और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया है। शिक्षा का अधिकार अब 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है तथा राज्य सभी बच्चों को कक्षा 8 तक नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- 6-14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए नज़दीकी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं मुफ़्त होगी।
- इस उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें किसी शुल्क अथवा खर्च की वजह से प्राथमिक शिक्षा लेने से रोका जा सकेगा।
- यदि 6 से अधिक उम्र का कोई भी बच्चा किन्हीं कारणवश विद्यालय नहीं जा पाता है तो, उसे शिक्षा के लिए, उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलवाया जाएगा।
- इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए संबंधित सरकार तथा स्थानीय प्रशासन को यदि आवश्यक हुआ तो विद्यालय भी खोलना होगा।
- इस अधिनियम के तहत यदि किसी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो वहाँ पर तीन वर्षों में विद्यालय का निर्माण करवाया जाना आवश्यक है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों को अमल में लाने की ज़िम्मेदारी केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों की है तथा इसके लिए होने वाले खर्च में भी इनकी समवर्ती ज़िम्मेदारी रहेगी।
- इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) को शैक्षिक पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया है। इसका प्रमुख कार्य प्रार्भिक शिक्षा तथा इसके लिए आवश्यक पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर विकास करना है।
- सरकारी विद्यालय तो नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही, निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए कक्षाओं में 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित करना होगा।
- किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

- बच्चों के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की योग्यता का व्यापक और सतत् मूल्यांकन किया जाएगा।
- किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- प्रत्येक बच्चे की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण किया जाएगा और तदनुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- बाल अनुकूल और बाल केंद्रित रीति में क्रियाकलापों, खोज और प्रकटीकरण द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाएगा।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 बच्चों तक माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा पहुँचाने की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका सर्वाधिक लाभ श्रमिकों के बच्चे, बाल मज़दूर, प्रवासी बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या फिर जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषायी अथवा जेंडर कारकों की वजह से शिक्षा से वंचित बच्चों को मिलेगा और वे आरंभिक शिक्षा पूरी करके माध्यमिक शिक्षा में कदम रख सकेंगे।

इस अध्ययन में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009

इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रावधान एवं उन प्रावधानों को पूर्ण करने के लिए कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए हैं।

अल्पसंख्यक अभिभावक

अल्पसंख्यक अभिभावकों से तात्पर्य मुस्लिम संप्रदाय के अभिभावकों से है।

बहुसंख्यक अभिभावक

बहुसंख्यक अभिभावकों से तात्पर्य हिंदू संप्रदाय के अभिभावकों से है।

अभिवृत्ति

अभिवृत्ति किसी विशिष्ट प्रकरण के प्रति व्यक्ति की प्रवृत्तियों, भावनाओं, पूर्वाग्रहों, पक्षपातों, पूर्व निर्मित अभिप्रायों, विचारों, भय, दबावों तथा मान्यताओं का कुल योग है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के प्रति अल्पसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के प्रति बहुसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

1. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के प्रति अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के प्रति अल्पसंख्यक पुरुष अभिभावकों एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

3. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति बहुसंख्यक पुरुष अभिभावकों एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अध्ययन का परिसीमांकन

1. प्रस्तुत अध्ययन में मैनपुरी जिले के सुल्तानगंज विकास खंड के अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक अभिभावकों को लिया गया है।
2. प्रस्तुत अध्ययन में अल्पसंख्यक अभिभावकों से आशय मुस्लिम अभिभावकों से तथा बहुसंख्यक अभिभावकों से आशय हिंदू अभिभावकों से है।
3. प्रतिदर्श के रूप में 60 अल्पसंख्यक अभिभावकों तथा 60 बहुसंख्यक अभिभावकों का चयन किया गया है।

शोध विधि- प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श- प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में 60 अल्पसंख्यक अभिभावकों तथा 60 बहुसंख्यक अभिभावकों का चयन किया गया है। 60 अल्पसंख्यक अभिभावकों में 40 अभिभावक पुरुष हैं तथा 20 अभिभावक महिला हैं और 60 बहुसंख्यक अभिभावकों में 42 पुरुष अभिभावक हैं तथा 18 महिला अभिभावक हैं। न्यादर्श चयन के लिए विधि Stratified Random Sampling (SRS) का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के प्रति अल्पसंख्यक अभिभावकों एवं बहुसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता ने स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया है। इस प्रश्नावली में 30 प्रश्न हैं।

सांख्यिकीय विधियाँ- एकत्रित प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं टी टेस्ट का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शून्य परिकल्पना 1— नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के प्रति अल्पसंख्यक अभिभावकों एवं बहुसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 1

वर्ग	*N*	*M*	*S.D*	M_D	σ_D	*T*	*Df*	*सार्थकता स्तर 0.01 स्तर पर*
अल्पसंख्यक अभिभावक	60	35.10	5.80	4.07	1.38	2.94	118	सार्थक अंतर है।
बहुसंख्यक अभिभावक	60	39.17	7.03					

t तालिका में df = 118 देखने पर t का मान 0.01 स्तर पर 2.62 है जबकि प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर परिगणित t अनुपात का मान 2.94 प्राप्त हुआ जो 0.01 सार्थकता स्तर के मानों से अधिक है अत: शून्य परिकल्पना 1 ''नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के प्रति अल्पसंख्यक अभिभावकों एवं बहुसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है'' निरस्त होती है अर्थात् 99 प्रतिशत विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक अभिभावकों तथा बहुसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है अर्थात् अल्पसंख्यक अभिभावकों तथा बहुसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति समान नहीं है।

शून्य परिकल्पना 2 नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रति अल्पसंख्यक पुरुष अभिभावकों तथा महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

t तालिका में df = 58 देखने पर t का मान 2.66 है जबकि प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर परिगणित t अनुपात का मान 5.76 प्राप्त हुआ जो 0.01 सार्थकता स्तर के मानों से अधिक है। अत: शून्य परिकल्पना 2 ''नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के प्रति अल्पसंख्यक पुरुष अभिभावकों एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है'' निरस्त होती है अर्थात् 99 प्रतिशत विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक पुरुष अभिभावकों तथा महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है अर्थात् अल्पसंख्यक पुरुष अभिभावकों तथा महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति समान नहीं है।

शून्य परिकल्पना 3 नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के प्रति बहुसंख्यक पुरुष अभिभावकों तथा महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 2

वर्ग	*N*	*M*	*S.D*	M_D	σ_D	*t*	*df*	*सार्थकता स्तर 0.01 स्तर पर*
अल्पसंख्यक पुरुष अभिभावक	40	36.7	3.95	9.8	1.7	5.76	58	सार्थक अंतर है।
अल्पसंख्यक महिला अभिभावक	20	26.9	6.96					

तालिका 3

वर्ग	*N*	*M*	*S.D*	M_D	σ_D	*t*	*df*	*सार्थकता स्तर 0.01 स्तर पर*
बहुसंख्यक पुरुष अभिभावक	42	42.16	5.78	9.99	1.4	7.13	58	सार्थक अंतर है।
बहुसंख्यक महिला अभिभावक	18	32.17	4.11					

t तालिका में df = 58 देखने पर t का मान 0.01 स्तर पर 2.66 है जबकि प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर परिगणित t अनुपात का मान 7.13 प्राप्त हुआ जो 0.01 सार्थकता स्तर के मानों से अधिक है अत: यह 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक अंतर है अत: शून्य परिकल्पना 3 ''नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के प्रति बहुसंख्यक पुरुष वर्ग के अभिभावकों एवं महिला वर्ग के अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है'' निरस्त होती है, अर्थात् 99 प्रतिशत विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि बहुसंख्यक पुरुष अभिभावकों तथा महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है अर्थात् पुरुष अभिभावकों तथा महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति समान नहीं है।

निष्कर्ष

1. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के प्रति अल्पसंख्यक अभिभावकों एवं बहुसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया और यह देखा गया कि बहुसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति अल्पसंख्यक अभिभावकों की तुलना में अधिक सकारात्मक है।
2. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के प्रति अल्पसंख्यक पुरुष अभिभावकों एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया और यह देखा गया कि अल्पसंख्यक पुरुष अभिभावकों की अभिवृत्ति महिला अभिभावकों की तुलना में अधिक सकारात्मक है।
3. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के प्रति बहुसंख्यक पुरुष अभिभावकों की अभिवृत्ति तथा महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया और यह देखा गया कि बहुसंख्यक पुरुष अभिभावकों की अभिवृत्ति महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति से अधिक सकारात्मक है।

शैक्षिक निहितार्थ- अध्ययन के परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष की अभिवृत्ति उसके मनोभाव अथवा विश्वास को इंगित करती है।

अभिवृत्ति बताती है कि व्यक्ति क्या महसूस करता है अथवा उसके पूर्व विश्वास क्या हैं? यदि अभिभावक चाहें वे अल्पसंख्यक हों या फिर बहुसंख्यक हों, नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के प्रति अधिक सकारात्मक अभिवृत्ति रखेंगे तभी वे अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित कर सकेंगे और तभी सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य ''सब पढ़ें सब बढ़ें'' को अधिक तत्परता से प्राप्त किया जा सकेगा।

यह शोध अध्ययन इंगित करता है कि इस अधिकार के बारे में अल्पसंख्यक समुदाय को और अधिक बताए जाने की आवश्यकता है। इसके अधिक प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता के लिए और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि सही और व्यापक जानकारी से भी दृष्टिकोणों में सुधार आता है जो कि दूरगामी होगा। इस प्रकार इस अधिनियम की सही जानकारी अभिभावकों और अध्यापकों की अभिवृत्ति में परिवर्तन का एक सही व सकारात्मक उपाय सिद्ध हो सकती है।

संदर्भ

डायट मैनपुरी. 2010. *संवाद, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 और नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के संदर्भ में शिक्षक हस्तपुस्तिका.* सर्व शिक्षा अभियान (उ.प्र.)

बुच, एम.बी. 1979. *सैकेंड सर्वे ऑफ़ रिसर्च इन एजुकेशन.* बड़ौदा सोसायटी फ़ॉर एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 1991. *थर्ड एंड फोर्थ सर्वे ऑफ़ रिसर्च इन एजुकेशन.* नयी दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 1997. *फ़िफ्थ सर्वे ऑफ़ रिसर्च इन एजुकेशन.* नयी दिल्ली